

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी- 163


दिनांक: 15/5/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की  
बैठक...17वीं...दिनांक...3/5/2002 का  
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.17वीं  
दिनांक. 3/5/2002 प्रातः/सायं.....बजे जयपुर विकास आयुक्त  
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर  
प्रेषित किया जा रहा है।


भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की 17 वीं बैठक दिनांक 3-5-2002 में निम्न एजेण्डा पर भी विचार-विमर्श किया गया -

॥१॥ विषय:- मुरलीपुरा स्थित 200' चौड़ी सैक्टर रोड़ की चौड़ाई कम करने के संबंध में ॥ जोन बी-3॥ :-

उपरोक्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति-द्वितीय कांफरेटिव की 28वीं बैठक में दी अम्बेडकर गृ.नि.स. समिति को योजना स्कीम नं० 5 प्रवासी नगर पर विचार-विमर्श करते समय इस पर भी विचार किया गया था तथा निर्णय लिया गया था कि इस 200' सड़क की पूरी लम्बाई का पुनः सर्वे किया जाये और प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाये ताकि यह तय किया जा सके कि इस सड़क की चौड़ाई 200' ॥ 65'+ 135'॥ रखी जाये या उसे 160' ॥ 65'+ 95'॥ करना उचित रहेगा ।

जोन स्तर पर किये गये इस सड़क के भौतिक सर्वे पर भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की बैठक दिनांक 15-4-2002 में अवलोकन किया गया तथा निश्चित किया गया कि समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर, निदेशक आयोजना, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, वरिष्ठ नगर नियोजक एम.पी., उपायुक्त, जोन बी-3 एवं सहायक नगर नियोजक, बी-3 संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर अपने विचार आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिसे सड़क की चौड़ाई एवं अलाइन्मेंट के संदर्भ में निर्णय लिया जा सके ।

समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 15-4-2002 को मौका निरीक्षण किया गया । जोन स्तर पर सड़क की चौड़ाई 130' प्रस्तावित की गयी थी जिसके संदर्भ में मौके पर हुए निर्माण का भी अवलोकन किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह तथ्य भी उभर कर आया कि इस सड़क की चौड़ाई सीकर रोड़ से दादी के फाटक तक जोन द्वारा प्रस्ताव के अनुसार 130' रखा जाना ही उचित होगा ।

भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की बैठक दिनांक 3-5-2002 में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति के सदस्यों द्वारा अपने विचार प्रकट किये गये तथा निर्णय लिया गया कि सीकर रोड़ से दादी के फाटक तक सड़क की चौड़ाई 130' रखी जाये । मास्टर प्लान में जो सड़क का अलाइन्मेंट दर्शाया है उसमें मौके की स्थिति के अनुसार कुछ बदलाव किया गया । जिसे कि मौके पर बने मकानों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं हो तथा कम से कम निर्माण को हटाया जाये । इस अलाइन्मेंट के आस-पास जो सड़क

30

है वो इतनी कम चौड़ी है कि उससे से चौड़ी रोड़ निकालना सम्भव नहीं है । इस अलाइन्मेंट के बीच में जो निर्माणाधीन मकान आते है उसके संदर्भ में निर्णय लिया गया कि भूखण्डधारी को भूखण्ड के बदले भूखण्ड एवं जो निर्माण किया हुआ है उसका मुआवजा दे दिया जाये । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मकान के बारे में समझौता करने की कार्यवाही चलती रहे तथा उसके पूर्ण होने का इंतजार नहीं किया जाये तथा सड़क का कार्य करवाने की कार्यवाही कर ली जाये ।

सीकर रोड़ पर इस सड़क के शुरू होने के स्थान पर जो दुकाने निर्मित है उनको सड़क को चौड़ाई 130' करने के लिए ध्वस्त किया जाये ।

मुरलीपुरा थाने के पश्चात् की भूमि की 90 बी की भी कार्यवाही कर ली जाये ।

§2§ विषय:- अम्बेडकर गृ.नि.स. समिति की योजना स्कीम नं० 2 में से गुजरने वाली 100' चौड़ी सैक्टर रोड़ के अलाइन्मेंट को बदलने के संबंध में §जोन बी-3§ :-

सैक्टर प्लान में दर्शाये गये - सीकर रोड़ <sup>मे ड्रम 100 फीट चौड़ी सड़क के</sup> - अलाइन्मेंट का भी मौका निरीक्षण दिनांक 15-4-2002 को समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर, निदेशक §आयोजना§, वरिष्ठ नगर नियोजक §बीपीसी§, वरिष्ठ नगर नियोजक §एम.पी.§, उपायुक्त, जोन बी-3 एवं सहायक नगर नियोजक, बी-3 द्वारा किया गया था तथा जोन द्वारा प्रस्तुत संशोधित अलाइन्मेंट का भी अवलोकन किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि जोन द्वारा प्रस्तुत अलाइन्मेंट जो मौके की स्थिति के अनुसार संभव है उसको ही रखना उचित होगा ।

उपरोक्त प्रकरण उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा भवन मानचित्र समिति §ले आउट प्लान§ की बैठक दिनांक 3-5-2002 में रखा गया तथा मौका निरीक्षण के संदर्भ में समिति के सदस्यों द्वारा रखे गये विचारों को सुना गया ।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत सैक्टर रोड़ के संशोधित अलाइन्मेंट के मानचित्र का भी अवलोकन किया गया तथा इस संशोधित अलाइन्मेंट को ही रखना उचित माना गया । साथ ही निम्न निर्णय लिये गये -

1. सीकर रोड़ से सन्धू नगर गृ.नि.स. समिति की योजना 16 एवं 16 जी के प्रारम्भिक बिन्दु तक इस सैक्टर रोड़ की चौड़ाई 60' रखी जाये ।
2. योजना 16 एवं 16 जी के प्रारम्भिक बिन्दु के पश्चात् सड़क की चौड़ाई जो मौके पर 100' उपलब्ध है दादी का फाटक तक 100' रखी जाये #

3. इस सड़क के बीच में जो स्ट्रक्चर आ रहे है उनमे भूमि के बदले भूमि तथा स्ट्रक्चर का कम्पन्सेसन भूखण्डधारीबाँ को दिया जाये ।
4. सड़क की चौड़ाई 60' रखने के कारण जिन निर्मित भवनों में सैट बैक 0' रह जाता है उन निर्मित भवनों में 0' सैट बैक ही रखा जाये ।
5. सड़क की चौड़ाई 60' रखने के कारण जो स्ट्रक्चर सड़क के बीच में आ रहे है उनके बारे में समझौता करने की कार्यवाही चलती रहे तथा उसके पूर्ण होने का इंतजार नहीं किया जाये तथा सड़क का कार्य करवाने की कार्यवाही कर ली जाये ।

§3§ विषय:- आवेदक खातेदार श्रीमति मदन कंवर के स्वामित्व की भूमि को सहकारी समिति गोपालपुरा गृ.नि.स. समिति की योजना दादागुरुदेव नगर सांगानेर के सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत §जोन सी-1§ :-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्रीमती मदन कंवर के स्वामित्व की भूमि को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रखा जाये तथा उसको विशेष परिस्थिति का प्रकरण मानते हुए कार्यवाही की जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 1.7वरी..... बैठक दिनांक...3-5-2002.  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : श्यामपुरी गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : मनु विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : जामडौली, 212
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....सी-3) कमेटी की बैठक दिनांक...24-4-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो खसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है ।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानक प्रस्तुत नहीं किया गया ।





कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...17वीं...बैठक दिनांक.3-5-2002...  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : अरिहन्त नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : जामड़ोली, 148
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक...28-2-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो खसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है ।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...1.7.वीं...बैठक दिनांक...3-5-2002  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : बाबा आर. एन. गौड स.स.
2. योजना का नाम : ऋतु विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : विजयपुरा, 446
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सो-3...) कमेटी की बैठक दिनांक...28-2-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सो-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो खसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...17वीं...बैठक दिनांक...3-5-2002...  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : बाबा आर.एन.गौड स.स.
2. योजना का नाम : मास्टर कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : जामडौली, 315
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक...28-2-2002...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो खसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 17वीं बैठक दिनांक 3-5-2002  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : भैरव गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : पालिका मार्केट
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : पालडी मीणा, 423,424
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक 24-4-2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो खसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...17वीं...बैठक दिनांक...3-5-2002...  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : इन्द्रा नगर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : कल्याणपुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : बगराना, 245
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक....24-4-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो खसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है ।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...17वीं...बैठक दिनांक...3-5-2002...  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : शिव शंकर हा.कोऑपरेटिव सो.लि.
2. योजना का नाम : मां स्कमणी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : विजयपुरा, 472
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी.-3....) कमेटी की बैठक दिनांक...3.0-4-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को अस्वीकृत निम्न कारणों से करने का निर्णय लिया गया:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी थी उससे अधिक क्षेत्रफल पर योजना प्रस्तुत की गयी है तथा यह पता लगाना संभव नहीं हो रहा है कि वो उसरे का कौनसा भाग है जिसको समिति ने क्रय नहीं किया है तथा जिस पर समिति द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गयी है ।

समिति को योजना संशोधित करने के बारे में समाचार पत्रों में नोटिस भी निकाले गये थे परन्तु समिति द्वारा कोई संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

32

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...17वीं...बैठक दिनांक.3-5-2002...  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : मोती भवन
2. योजना का नाम : डिफेन्स कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : नांगल जैसा बोहरा, 315 से 317
4. सैक्टर नंबर :

जानल लेबल(जोन संख्या...सी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक...2-5-2002...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. निवारु रोड़ की चौड़ाई 200' होने के फलस्वरूप सड़क के मध्य से 100' की दूरी के अंदर आने वाली प्रस्तावित दुकानों को एवं भूखण्डों को निरस्त किया जाये तथा योजना सहकारी समिति स्तर से मानदण्डों के अनुसार संशोधित करवा कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाये ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....17वीं.....बैठक दिनांक.....3-5-2002  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : शंकर भवन
2. योजना का नाम : के.जी.एन. बाग
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : हरनाथपुरा, 162 मिन
4. सेक्टर नंबर :

जानल लेबल(जोन संख्या..सी.-1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....३-५-२००२.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. प्रस्तावित योजना में से 220 के.वी. की दो लाईने तथा 80' चौड़ी एम.आर.टी.एस. कोरीडोर भी निष्कलता है अतः एम.आर.टी.एस. कोरीडोर को रखते हुए एवं एच.टी. लाईन के मध्य बिन्दु से दोनों तरफ 50'-50' दूरी छोडते हुए समिति से योजना मानदण्डों के अनुसार संशोधित करवा कर पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ रखी जाये ।

२

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3-5-02.....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भूखण्ड संख्या ए-1, बी-1, पार्क के अन्तर्गत कानोता बाग, नारायण सर्किल जयपुर के अन्तर्गत स्थित भूमि के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोमल लेबल(जोन संख्या...A-1....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों ने मौका निरोक्षण करना बाहा इसलिए समिति द्वारा मौका निरोक्षण करने के पश्चात् उपायुक्त पहले पत्रावली पर जांच करें।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 3-5-02.....

का कार्यवाही विवरण।

**विषय:-** अपोलो गृहनिर्माण योजना लाल बहादुर नगर रामजीपुरा के स्वीकृत मानचित्र पर पुन विचार के सम्बन्ध में ।

1. यातायात/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....&..n!....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन बो-1 ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि स्वीकृत मानचित्र से पूर्व में समिति ने जो योजना मानचित्र प्रस्तुत किया था । उसमें सुविधा क्षेत्र <sup>वसुधैव कुटुम्बक</sup> तथा आवासीय क्षेत्रफल 60% था/किन्तु बीपीसी द्वितीय को बैठक क्रमांक 2/2001 दिनांक 6-1-2001 के निर्णयानुसार स्वीकृत योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रफल 71% स्वीकृत किया गया अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गए:-

- 1- समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गये ले-आउट प्लान में जो सुविधा क्षेत्र दर्शाया है उसे सुविधा क्षेत्र के अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया जावे तथा जो नये भूखण्ड सुविधा क्षेत्र में सृजित किए उन भूखण्डों के नियमन को निरस्त कर उनको नियमन राशि आवंटियों को लौटाया जावे ।
- 2- योजना को भूमि का साथ में स्थित जय जवान जय किसान गृह नि० स० को योजना जय जवान प्रश्न से सीमा विवाद है । जय जवान-प्रश्न को भूमि के कुछ खसरो पर तहसिलदार सांगानेर रिसोवर नियुक्त है । तहसिलदार सांगानेर रिसोवर को हेसियत से कार्यवाही करने में सक्षम है व इसमें जेडो.ए के स्तर पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3-5-02  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : मित्र गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : न्यू सागानेर बाई पास
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख.नं. 123 का रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा
4. सेक्टर नंबर : ख.नं. 125 का रकबा 4 बिस्वा

जोनल लेबल(जोन संख्या.....3.1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त बो-5 द्वारा समिति को मौके की स्थिति से यह अज्ञात कराया कि मौके पर भूखण्ड संख्या 23 से 26 पर पेट्रोल पम्प का निर्माण कार्य चल रहा है जोनल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह <sup>मौके</sup> वाटर बाँडो एरिया में स्थित है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया:-

- 1- उपायुक्त {बो-5} अपने स्तर पर योजना से लगती हुई सरकारी भूमि चिन्हित कर योजना से बलग करेगा।
- 2- यह योजना आवासीय है अतः इन भूखण्डों को आवासीय नियमन किया जाए, तत्पश्चात् प्रार्थी इन भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा।
- 3- भूखण्ड संख्या \* \* \* \* 112 \* \* \* \* में सेट बैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।
- 4- योजना के अन्दर को 30-0" से कम चौड़ी सड़क को 30-0" चौड़ी की जावे।
- 5- भूखण्ड संख्या एसएम 104 से 113 तक पूर्ण तथा भूखण्ड संख्या एसएम 114 आंशिक ग्राम देवरो के खसरा नम्बर 266, 269 में आते है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 6- श्री सुमेर सिंह को भूमि का खसरा सुपरइम्पोज योजना मानचित्र में जोन द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार योजना का क्षेत्रफल 23353.00 व.ग. है। जिसमें 1928.00 व.ग. पैसेल्टी एरिया छोड़ा जाना है समिति के



- सदस्यों का विचार था कि पैसेलिटो एरिया मुख्य गोपालपुरा बाई पास पर तथा योजना के केन्द्र में हो । इसलिए भूखण्ड संख्या एसएम 27 से एसएम 30 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- 7- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग वाटर बाँडो है योजना का भू-उपयोग परिवर्तन वाटर बाँडो से आवासीय किया जावे ।
- 8- यही योजना में आवासीय क्षेत्र 10 प्रतिशत से कम निर्मित है इसलिए तो योजना को स्विकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- लक्ष्मी गोविन्दसरो को योजना लक्ष्मी नगर के भू.सं. 66 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B.T.L.) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् भू.सं. संख्या 66 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- विवेकानन्द ग0नि0स0स0 को योजना प्रिन्टर्स कॉलोनी द्वितीय के  
भू.सं. 29, 30, 38 तथा 45 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-4...) कमेटी की बैठक  
दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को  
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के  
समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत  
एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना  
अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के  
परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया  
गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।

विचार-विमर्श परचासू भाखड़ संख्या 29, 30 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए  
जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : लक्ष्मी गृहनिर्माण
2. योजना का नाम : प्रहलाद कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : भू.सं. 20 के उप विभाजन के सम्बन्ध में ।
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भूखण्ड संख्या 20 प्लॉट को चौड़ाई केवल 14-0" है तथा इसमें सामने का सैट बैक 10-0" है इसलिए निर्मित क्षेत्र केवल 4-0" चौड़ा ही मिलता है । विचार-विमर्श पश्चात् एजेण्डा में दर्शित उप विभाजन मानचित्र के अनुसार इस भूखण्ड का उप विभाजन ~~करना~~ करने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

- विषय:- गुलाबबाडी गृहनिर्माण की योजना मौदा नगर ग्राम सुश्री लपुरा के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।
1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
  2. योजना का नाम :
  3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
  4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...३:५....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा योजना का मौका निरोक्षण करना चाहा इसलिए मौका निरोक्षण परवात् योजना को पुनः भवन मानचित्र समिति में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी (ले-आउट प्लान) की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी लक्ष्मी गृ0नि0स0स0  
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : शिवराम कॉलोनी विस्तार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख.नं. 534, 535 ग्राम मनोहरपुरा
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल (जोन संख्या.... 222...) कमेटी की बैठक दिनांक..... में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- आवासीय क्षेत्रफल 60% करने हेतु भूखण्ड संख्या 10 व 14 को अस्वीकृत किया जावे। सरस्वती कॉलोनी से इस योजना का 30-0" चौड़ी सड़क से सम्पर्क किया जावे तथा भूखण्ड 10 व 11 के शेष क्षेत्रफल को सुविधा हेतु दर्शाया जावे।
- 2- 40.50" चौड़ी सड़क हेतु आवश्यक भूमि भूखण्ड स 1, 2, 3, 4 में से ली जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : बन्धु गृहनिर्माण
2. योजना का नाम : गोपाल विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : उ.नं. 281, 282, 283, 284 ग्राम पालड़ी
4. सेक्टर नंबर : मीणा

जोन्ल लेबल(जोन संख्या.....६२२...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय में से भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- योजना के पश्चिम में 60' चौड़ी सड़क करने हेतु व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 से 21 को निरस्त किया जावे।
- 3- योजना में 30-0' से कम चौड़ी सड़को को चौड़ाई कम से कम 30-0" को जावे।
- 4- आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत करने हेतु भूखण्ड संख्या 72 से 79 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अम्बेश्वर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : गणेश विहार "बो"
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : स.नं. 519, 52। ग्राम खोनागोरिया
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....९...२...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय से भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़को को कम से कम 30-0" चौड़ी सड़क को जावे।
- 3- गौनेर रोड़ की सड़क सोमा में होने के कारण भूखण्ड संख्या 1 से 3, 17, 18 व 32 को अस्वीकृत किया जावे।
- 4- पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड संख्या 25 को निरस्त किया जावे।
- 5- भूखण्ड संख्या 23 में से सड़क ध्रु कर साथ लगती योजना में मिलया जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : बन्धु गृह नं० 10 स० स०
2. योजना का नाम : देव विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : ख.नं० 281, 282, 283, 284 ग्राम पालड़ी
4. सेक्टर नंबर : मोणा ।

जोनल लेबल(जोन संख्या.....?) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस योजना को भूमि इकोलोजिकल क्षेत्र में है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- भूखण्ड संख्या 1 व 25 के पश्चिम की सड़क को 30' से 60' चौड़ी करने हेतु दोनों साइड के भूखण्डों में से 15'-15' भूमि ली जावे ।
- 3- योजना में 30'-0" से कम चौड़ी सड़को को 30'-0" किया जावे ।
- 4- योजना के दक्षिण में लगती हुई योजना से सम्पर्क सड़क हेतु भूखण्ड संख्या 40 को निरस्त किया जावे व तथा भूखण्ड संख्या 41 में से भी सड़क को चौड़ाई हेतु आवश्यक भूमि ली जावे ।
- 5- भूखण्ड संख्या 53, 54 को सड़क एलायगमेंट करने हेतु निरस्त किया जावे । भूखण्ड संख्या 62 में से सड़क हेतु आवश्यक भूमि भी ली जावे ।
- 6- भूखण्ड संख्या 15 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- 7- पार्क की ओर 5 फीट लेन छोड़कर तथा दुकानों के आगे 10 फीट पार्किंग छोड़ने के पश्चात दुकानों 15 फीट गहरी अनुमोदन की जाती हैं।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 3/5/02.....  
का कार्यवाही विवरण।

- |    |  |   |                            |
|----|--|---|----------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी<br>समिति का नाम | : | हथरोई गढ़ो गृ0नि0स0स0      |
| 2. | योजना का नाम                               | : | गुरु तेग बहादुर नगर        |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0                    | : | स.नं. 240 ग्राम खोनागौरिया |
| 4. | सेक्टर नंबर                                | : |                            |

जोनल लेबल(जोन संख्या... 2.2) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजी कल है इसलिए इकोलोजी कल से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- भूखण्ड संख्या 3,4,11,12,19,20 गोनेर रोड से प्रभावित है इसलिए उक्त भूखण्डों में से सड़क क्षेत्र को कम करते हुए स्वीकृत किया जावे ।
- 3- पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण भूखण्ड संख्या 3,4,20 को अस्वीकृत किया जावे ।
- 4- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़को को कम से कम 30-0" चौड़ी किया जावे ।
- 5- योजना के भूखण्ड संख्या 16,17,15,23,21 में से हाइड्रेशन लाइन गुजरती है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... दिनांक 3/5/02  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार श्री रामस्वरूप पुत्र भूरा श्री रामजीलाल पुत्र श्री रामनारायण
  2. योजना का नाम : शिव आपिसर्स कॉलोनी ब्लॉक डो
  3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : स.नं. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252
  4. सेक्टर नंबर : 253, 254, 255 ग्राम श्री गोविन्दपुरा
- जोनल लेबल(जोन संख्या... 28 नं० 2 से 7 21 नं० नगरपालिका) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श परचात निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग पार्क/खुला स्थान, ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए पार्क/खुला स्थान, ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय से भू-उपयोग परिवर्तन को कार्यवाही को जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या डो-6 व डो-7 के पोछे व साइड में जो कार्मि शिथिल एरिया दिखाया है उसमें जाने का रास्ता तथा काफी कम क्षेत्रफल का है इसलिए इन क्षेत्र के भूखण्डों में शामिल किया जावे।
- 3- कार्मि शिथिल एरिया के तीनों साइडों में पार्किंग नहीं दर्शाया है इसलिए तीनों साइडों में 10-0" चौड़ी पार्किंग क्षेत्र दर्शाया जावे।
- 4- खसरा बाउन्ड्री की सीमा के अन्दर के भूखण्ड स्वीकृत योग्य है।
- 5- योजना में निर्मित भूखण्डों को संख्या 10 प्रतिशत से कम है इसलिए इसे राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 3.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 की मित्र गृ.नि.स.स. की योजना कार्तिक नगर के भूखण्ड संख्या 75 व 75 ए के अनुमोदन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया :-

उपायुक्त जोन ए-2 द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा एवं मौके की स्थिति के अनुसार यह तथ्य उभर के आया कि बीपीसी की बैठक दिनांक 27.2.2002 द्वारा कार्तिक नगर योजना को अनुमोदित किया गया था जिसमें भूखण्ड संख्या 75 व 75 ए के दक्षिण में दुकान संख्या 13 से 18 अनुमोदित की गई थी। जबकि सहकारी समिति द्वारा उक्त भूखण्डों को आवासीय आवंटित किया गया था। मौके पर भी कोई व्यावसायिक निर्माण नहीं है। इस संबंध में समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति जारी की गयी थी और दुकानों के संबंध में कोई हितकारी उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर होता है कि समिति द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड मात्र नक्शे में दर्शाये गये हैं, किसी को आवंटित नहीं है। समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में उक्त व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटियों के नाम नहीं हैं। अतः वाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि भूखण्ड संख्या 75 व 75 ए को पूर्णतः आवासीय अनुमोदित किया जाय व दुकानों (13 से 18) को विलोपित करते हुए भूखण्ड संख्या 75 व 75 ए का भाग माना जाए।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 3.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. श्री गणपती गृ.नि.स.स. की योजना सेटलमेंट नगर के अनुमोदन के संबंध में।
2. महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना पदमप्रभु विहार ए के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. श्री गणपती गृ.नि.स.स. की योजना सेटलमेंट नगर के अनुमोदन के संबंध में

श्री गणपती गृ.नि.स.स. की योजना सेटलमेंट नगर योजना को बीपीसी (ले आउट प्लान) की बैठक संख्या 14 दिनांक 17.4.2002 को प्रस्तुत की गयी थी। जिसके निर्णय अनुसार समिति के मंत्री को दिनांक 27.4.2002 को पत्र लिखा गया। परन्तु समिति द्वारा संशोधित प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जोन समिति की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि योजना का संशोधित प्लान जोन द्वारा तैयार करवाया जावे। निर्णयानुसार संशोधित प्लान तैयार किया गया, जिसके अनुसार योजना का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1)	योजना का क्षेत्रफल	:	41663.12 वर्ग गज	100%
(2)	आवासीय क्षेत्रफल	:	21719.18 वर्ग गज	52.13%
(3)	व्यावसायिक	:	138.51 वर्ग गज	0.33%
(4)	सडक/पार्किंग	:	14451.60 वर्ग गज	34.68 %
(5)	सुविधा क्षेत्र	:	5353.83 वर्ग गज	12.86%

उपरोक्त योजना में कुल 88 भूखण्ड, 12 दुकानें एवं 2 सुविधा क्षेत्र दर्शाये गये हैं। अतः जोनल समिति के निर्णय अनुसार प्रकरण बीपीसी (ले आउट प्लान) में निर्णय हेतु रखा गया। संशोधित योजना मानचित्र पर विचार विमर्श पश्चात निम्नलिखित निर्णय लेते हुये योजना का अनुमोदन किया गया:-

1. भूखण्ड संख्या ए-1 से ए-5-ए के पश्चिम की ओर स्थित 10' लेन को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे। इसी प्रकार I-1 से I-8 के पूर्व की ओर स्थित 10' को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
2. योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण से आवासीय में किया जावे।
3. योजना में निर्माण कार्य 10 प्रतिशत से कम होन के कारण जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अ.आ/भूमि/2002/डी 451 दिनांक 25.2.2002 के अनुसरण में योजना को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावे।

2. महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना पदमप्रभु विहार ए के अनुमोदन के संबंध में।

महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना पदम प्रभु विहार ग्राम शिवदासपुरा का मानचित्र बीपीसी की बैठक दिनांक 26.2.2002 में अनुमोदित किया गया था। योजना का अधिकांश भाग 132 के.वी. की चालू लाईन एवं पदमपुरा जाने वाली 200' सडक से प्रभावित होने के कारण अधिकतर भूखण्ड एवं दुकानें Not Approved भाग में आने से आयोजित कैम्प में एक भी भूखण्डधारी द्वारा आवंटन पत्र व पट्टा नहीं लिया गया। इसके पश्चात समिति द्वारा समाचार पत्र में आम सूचना जारी कर दिनांक 10.3.2002 को सांय 6 बजे समिति के सदस्यों की बैठक रखी गयी बैठक में उपस्थित भूखण्डधारकों एवं दुकानधारकों के हस्ताक्षर की सूची प्रस्तुत की गयी जिसमें योजना को संशोधित करने के लिये सहमति हो गयी। संशोधित योजना प्लान में पूर्व बीपीसी द्वारा अनुमोदित सुविधा क्षेत्र के क्षेत्रफल 1274.98 वर्ग गज के स्थान पर समिति द्वारा 11 दुकानें व 1 भूखण्ड दर्शाया गया है।

समिति के द्वारा इस योजना पर विचार विमर्श करते हुए गृ.नि.स.स. द्वारा संशोधित योजना के मानचित्र प्रस्तुत करने की पहल की सराहना की गयी एवं संशोधित योजना मानचित्र पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :-

1. योजना का अनुमोदन किया जावें।
2. जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अ.आ/भूमि/2002/डी 451 दिनांक 25.2.2002 के अनुसरण में योजना को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 3.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना फतहनगर के अनुमोदन के संबंध में।
2. मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना 11 ई के अनुमोदन के संबंध में।

1. हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना फतहनगर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 13.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना के 60:40 के अनुपात में नहीं होने के कारण योजना को अस्वीकृत करते हुए मौका निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया गया।

2. मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना 11 ई के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 13.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना के हाइवे कंट्रोल बैल्ट से प्रभावित क्षेत्र को अस्वीकृत करते हुए शेष योजना का अनुमोदन किया जावें।
2. योजना में प्रस्तावित दुकान संख्या 1 से 17 व भूखण्ड संख्या 1 से 7 का नियमन नहीं किया जावें।
3. योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें।
4. भूखण्ड संख्या 17, 18 एवं 19, 20 के मध्य स्थित सड़क की चौड़ाई 30' रखी जावें।

  
वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)